न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2064–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 487/अपील/2013–14.

नाथु पिता सामला गणावा
निवासी ग्राम करमदीखेड़ा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

1– जगदीश पिता मथुरा गणावा
2– गुमानसिंह पिता शोभाराम गणावा
3– शंकरसिंह पिता श्यामलाल गणावा
4– हेमराज पिता नानजी गणावा
5– पूनमचन्द्र पिता लीमजी गणावा
निवासीगण ग्राम करदमीखेड़ा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
6– सरपंच, ग्राम पंचायत बोडयता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
7– सविच, ग्राम पंचायत बोडयता
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, झाबुआ के पत्र क्रमांक 3046/97/भूअभि./रा.नि.का./2011 दिनांक 17–10–2011 से तहसीलदार, पेटलावद को ग्राम करमदीखेड़ा में रिक्त कोटवार के पद पर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/अ–56/2011–12 दर्ज कर उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है । उद्घोषणा के प्रकाशन के उपरांत कोटवार पद हेतु आवेदक नाथु, जगदीश, गुमानसिंह, शंकरसिंह, हेमराज पिता लिमजी गणावा, हेमराज पिता नानजी गणावा एवं पूनमचंद के आवेदन पत्र प्राप्त हुए । नायब तहसीलदार, टप्पा सारंगी द्वारा दिनांक 16–7–2013 को आदेश पारित कर आवेदक नाथु को ग्राम करमदीखेड़ा का कोटवार नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–6–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये एवं अपील स्वीकार की जाकर अनावेदक क्रमांक 1 को ग्राम करमदीखेड़ा का कोटवार नियुक्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अस्थायी कोटवार नियुक्त करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, और अस्थायी कोटवार की नियुक्ति में किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । संहिता की धारा 230 के अंतर्गत निर्मित नियम 4 (1) पर अपर आयुक्त द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, उक्त नियम के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा उम्मीदवारों के दावों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यक्ति का कोटवार पद पर चयन करता है, और नियुक्त करने का कारण संक्षेप में अंकित करता है, तथा उम्मीदवारों की

योग्यता का सकारात्मक तुलना भी की जाती है, और ऐसा करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, अपर आयुक्त द्वारा अन्य अपात्र व्यक्ति का चयन नहीं किया जा सकता है, इस कारण भी अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 स्वच्छ हाथों से अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए उसके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, जबकि दिनांक 26–7–2011 को थाना रायपुनिया जिला झाबुआ अपराध कमांक 138/2011 भारतीय दण्ड विधान की धारा 504, 323, 325/34 का प्रकरण दर्ज हुआ होकर उनको दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा दिनांक 24–5–2013 को आदेश पारित कर 1 वर्ष 6 माह की कारावास से दण्डित किया गया है, इसलिए वह कोटवार पर के अयोग्य है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा तथाकथित ठहराव प्रस्ताव फर्जी रूप से तैयार किया गया है, क्योंकि ठहराव प्रस्ताव पर मात्र सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं । इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्ताव ठहराव के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष बाद में ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

(4) अस्थायी कोटवार की नियुक्ति किए जाने में नियुक्ति अधिकारी को किसी अन्य को सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है, इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्कों क समर्थन में 1985 आर.एन. 36 एवं 2001 आर.एन. 283 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गय हैं :–

(1) संहिता में कोटवारी के नियमों में ग्राम पंचायत के ठहराव, प्रस्ताव को सही मान्यता दिये जाने के संबंध में नियम 4 (1) के संशोधन में अधिसूचना दिनांक 13–3–1997 तथा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23–4–1999 में किए गए संशोधन के तहत ग्राम पंचायत के संकल्प को मान्यता दिये जाने के संबंध में आदेश प्रदान किए गए हैं । उन प्रावधानों के

तहत दिनांक 26–1–2013 ''गणतंतत्र दिवस'' को ग्राम पंचायत बोडायता द्वारा करमदीखेड़ा के रिक्त कोटवार पद पर अनावेदक जगदीश के पक्ष में विधिवत ग्राम सभा में संकल्प पारित कर प्रस्ताव कमांक 3 पारित किया गया है, जिसकी सचिव व सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित ठहराव प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार को पंचायत द्वारा प्रेषित की गई थी, लेकिन ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26–1–2013 पर गौर किए बिना तहसीलदार उप तहसील सारंगी एवं अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया था, जिसको निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) संहिता की धारा 230 कोटवार की नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया कि ग्राम संभा के माध्यम से कोटवार पद नियुक्ति का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ।

(3) तहसीलदार द्वारा कुछ लोगों के हस्ताक्षर युक्त कॉपी के पन्नों को आधार मानकर आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किय गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण मानकर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में हुए विधिवत ठहराव प्रस्ताव को उचित मानकर कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) आवेदक द्वारा अपनी निगरानी एवं लिखित बहस में असत्य कथन प्रस्तुत कर बताया जा रहा है कि अनावेदक कमांक 1 जगदीश के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण में दाण्डिक कार्यवाही कर दण्ड दिया गया है, जबकि अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण कमांक 66/2013 में आदेश दिनांक 17–7–2014 पारित कर अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 पर लगाये गये आरापों को निराधार मानकर दोषमुक्त कर दिया गया है ।

(5) संहिता में जो कोटवार के संबंध में अर्हतायें दी गई है, उन अर्हताओं को पूर्ण करने वाला आवेदक शारीरिक, मानसिक व कोटवार के कर्तव्यों को सम्यक रूप से करने वाला शासकीय कार्यों को समझने वाला पढ़ा–लिखा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति संबंधी आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 272, 1983 आर.एन. 400 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के पत्र के पालन में कोटवार की नियुक्ति हेतु प्रकरण कमांक 77/अ–56/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही करते हुए उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया है । उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 सहित हेमराज पिता लिमजी गणावा द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव मंगाये जाने के निर्देश दिये गये । ग्राम पंचायत में कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी उम्मीदवार के संबंध में कोई सहमति नहीं बनने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया हैं, अतः तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं आने पर ग्रामवासियों द्वारा आवेदक की नियुक्ति संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर आवेदक की नियुक्ति करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दिनांक 26–9–2012 को ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित 331 ग्रामवासियों में से 152 ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए उनके आदेश निरस्त किए गए हैं कि दिनांक 26–1–2013 को ग्राम बोडायता द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद पर नियुक्त किए जाने संबंधी ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि उक्त ग्राम ठहराव प्रस्ताव तहसील न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । तहसील न्यायालय के समक्ष आदेश पारित करते समय जो आधार उपलब्ध थे, उनको ध्यान में रखते हुए आवेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है, जो कि विधि संगत कार्यवाही है । अपर आयुक्त के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं होने पर भी कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की नियुक्ति अवैधानिक रूप से की गई है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी

ठोस आधार के तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2015 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 एवं नायब तहसीलदार, टप्पा तहसील सारंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2013 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर